प्रकाशनार्थ

अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर</u>

<u>(माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रीतिंकर दिवाकर)</u>

<u>दांडिक विविध याचिका क्रमांक 129 / 2009</u>

<u>याचिकाकर्ता</u> माँ करणी कोल कैरियर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>बनाम</u>

<u>उत्तरवादी</u> कर्नल सेवानिवृत्त डी.एस. सच्चर

दिनांक 12-05-2010 को आदेश के उद्घोषणा हेतु सूचीबद्ध करें ।

सही/-

प्रीतिंकर दिवाकर

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

(माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रीतिंकर दिवाकर)

दांडिक विविध याचिका क्रमांक 129 / 2009

याचिकाकर्ता माँ करणी कोल कैरियर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी

बनाम

उत्तरवादी कर्नल सेवानिवृत्त डी.एस. सच्चर

श्री प्रशांत जायसवाल विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री शेफ खान अधिवक्ता अपीलार्थी के लिए ।

श्री अरविंद सिंह अधिवक्ता उत्तरवादी के लिए ।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 (4) के अंतर्गत अपील करने हेतु विशेष अनुमति प्रदान किये जाने हेतु आवेदन

आदेश

(दिनांक 12.05.2010 को पारित)

अंतरिम आवेदन क्रमांक- 01 पर, अपील की विशेष अनुमति प्रदान किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में हुए विलंब के लिए क्षमा के आवेदन पर सुना गया । इस आवेदन का जवाब उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया है एवं उत्तरवादी के अधिवक्ता द्वारा इस प्रकरण को गंभीरता पूर्वक लिया जा रहा है ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में यह हैं कि याचिकाकर्ता— माँ करणी कोल कैरियर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी छत्तीसगढ़ राज्य में कोयले का व्यापार करती है एवं पी.सी. पुरी नाम का एक व्यक्ति खुद को उसका प्रबंध निर्देशक बता रहा है। यहां उत्तरवादी यानी कर्नल डी.एस. आई सच्चर को माँ करणी कोल कैरियर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का निर्देशक बताया गया है। यह बताया गया कि व्यापार के लेन-देन में दिनांक 2.12.2003 को याचिकाकर्ता के पक्ष में 4,40,000/- रुपये का चेक जारी किया गया था, किन्तु वह अनादरित हो गया, इसलिए दिनांक 21.7.2004 को सूरजपुर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1981 की धारा 138/142 के अनुसार एक परिवाद प्रस्तुत किया गया। किन्तु, उस परिवाद को दिनांक 24.8.2006 को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 256 के तहत न्यायाधीश ने अभियोजन के अभाव में निरस्त कर दिया था, क्योंकि न तो याचिकाकर्ता खुद और न ही उनका अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए । शिकायत का प्रकरण खारिज होने की जानकारी के तुरंत पश्चात्, याचिकाकर्ता ने उसी दिन इसे पुनः स्थापित करने हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया था, किंतु अभियोजन के अभाव में इसे भी दिनांक 8.3.2007 को निरस्त कर दिया गया। इस बीच, दिनांक 16.11.2006 को याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अनुसार एक दांडिक विविध याचिका क्रमांक 169/2006 प्रस्तुत की, जिसमें दिनांक 24.8.2006 के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसे दिनांक 18.7.2007 को इस न्यायालय में सूचीबद्ध किया गया था क्योंकि याचिकाकर्ता ने प्रक्रिया शुल्क नहीं दिया था । दिनांक 18.7.2007 को इस न्यायालय ने एक अनिवार्य आदेश पारित किया था कि यदि 7 दिनों के अंतर्गत प्रक्रिया शुल्क नहीं दी गई, तो याचिका न्यायिक पीठ को भेजे बिना ही निरस्त कर दी जाएगी। यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने तय समय के अंदर प्रक्रिया शुल्क नहीं दी, इसलिए दिनांक 18.7.2007 को इस न्यायालय के दिए गए आदेश के अनुसार वह याचिका निरस्त कर दी गई। इसके पश्चात्, दिनांक 10.8.2007 को याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय में एक विविध दांडिक प्रकरण क्रमांक 3771/2007 प्रस्तुत किया, ताकि दांडिक विविध याचिका क्रमांक 169/2006 को पुनः प्रारंभ किया जा सके, जिसे इस न्यायालय के दिनांक 18.7.2007 के आदेश के आधार पर निरस्त कर दिया गया था । याचिकाकर्ता ने दिनांक 26.9.2007 को पुनर्स्थापन आवेदन वापस ले लिया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभिलेख से वीदित है कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 12.10.2007 को एक नई दांडिक विविध याचिका क्रमांक 479/2007 प्रस्तुत की थी, जिसमें दिनांक 24.8.2006 के आदेश को चुनौती दिया गया था, जिसे उसने पहले दांडिक विविध याचिका क्रमांक 169/2006 में चुनौती दिया था। द्वितीय याचिका का निराकरण इस न्यायालय ने दिनांक 23.1.2009 के आदेश से किया था। दिनांक 23.1.2009 को पारित उक्त आदेश से यह जानकारी होता है कि तर्क के समय याचिकाकर्ता ने आदेश के आधार पर इस न्यायालय को सूचना दिया था कि विद्वान न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 24.8.2006 के आदेश के विरुद्ध उसने एक पुनर्स्थापन आवेदन प्रस्तुत किया है जो अभी भी लंबित है। इस कथन को सही मानते हुए एवं इस न्यायालय के आदेश के कंडिका 5 का अवलोकन करते हुये, इस न्यायालय ने दिनांक 23.1.2009 को याचिका समाप्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को लंबित पुनर्स्थापन आवेदन पर शीघ्र अतिशीघ्र, प्राथमिकता के साथ उक्त आदेश की प्रति प्राप्त होने के दिनांक से 30 दिनों की अवधि के अंदर आदेश करने का निर्देश दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने हेतु वर्तमान याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 (4) के तहत इस न्यायालय में दिनांक 4.3.2009 को प्रस्तुत की गई है एवं चूंकि इसे प्रस्तुत करने में 863 दिनों का विलम्ब हुआ है, इसलिए याचिकाकर्ता ने विलंब क्षमा करने हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रारंभ से ही याचिकाकर्ता सद्भाविक रूप से अपना प्रकरण अभियोजित कर रहा है एवं उसकी एक गलती के कारण दिनांक 24.8.2006 को विद्वान न्यायाधीश ने परिवाद निरस्त कर दिया था। उन्होंने बताया कि इसके तुरंत पश्चात् याचिकाकर्ता ने धारा 482 के अनुसार याचिका प्रस्तुत करके इस न्यायालय में अपील की थी (दांडिक विविध याचिका क्रमांक 169/2006) किन्तु दुर्भाग्य से वह भी निरस्त हो गई एवं फलस्वरूप दिनांक 23.1.2009 को दांडिक विविध याचिका क्रमांक 479/2007 में इस न्यायालय ने विचारण न्यायालय को दिनांक 24.8.2006 को दिए गए आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत दांडिक प्रकरण को पुनर्स्थापित करने हेतु लंबित आवेदन पर आदेश करने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि दिनांक 23.1.2009 के आदेश के पश्चात् याचिकाकर्ता को जानकारी हुई कि उसके पुनर्स्थापन का

आवेदन प्रारम्भ से ही दिनांक 8.3.2007 को अभियोजन की अनुपस्थिति के कारण निरस्त कर दी गई थी एवं पुनः दिनांक 4.2.2009 को उसकी सत्यापित प्रति प्राप्त होने के पश्चात याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय में दिनांक 4.3.2009 को धारा 378 (4) दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार विशेष अनुमति देने हेतु यह याचिका प्रस्तुत की। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1981 की धारा 138 के अनुसार प्रस्तुत एक प्रकरण में याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, न्यायालय को याचिकाकर्ता की एक गलती के लिए याचिका निरस्त करके सख्त रवैया अपनाने के स्थान पर नरम रुख अपनाना चाहिए था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि परिसीमा से संबंधित विधि को उदारता से लागू किया जाना चाहिए एवं यदि पर्याप्त कारण बताया गया है, तो न्यायालय को विलंब क्षमा कर देनी चाहिए। उन्होंने मंगू राम एवं अन्य बनाम नगर निगम दिल्ली (ए आई आर 1976 एस सी 105) एवं एन. बालकृष्णन बनाम एम. कृष्णमूर्ति (ए आई आर 1998 एस सी 3222) मामलों में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का अवलम्ब लिया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि वर्तमान याचिका एवं विलंब क्षमा करने के आवेदन को संतोषजनक न्याय देने के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए एवं सिर्फ़ तकनीकी आधार पर इसे निरस्त नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे तर्क दिया कि यदि विलंब को क्षमा नहीं किया गया, तो याचिकाकर्ता को बहुत अधिक नुकसान होगा एवं वह उत्तरवादी से अपनी राशि प्राप्त करने से वंचित रह जाएगा। उन्होंने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के समक्ष 4,40,000/- रुपये की राशि वसूलने हेतु व्यवहार वाद प्रस्तुत करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचेगा, जिसमें अधिक समय लगेगा एवं इसलिए याचिकाकर्ता को उसके विधिक अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. इसके विपरीत, उत्तरवादी के अधिवक्ता ने विलंब क्षमा करने के आवेदन का विरोध किया एवं कहा कि 863 दिनों के विलंब को ऐसे ही क्षमा नहीं किया जा सकता । उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता ने विलंब क्षमा करने हेतु कोई सही कारण नहीं बताया है एवं आवेदन से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने विलंब का ठीक से कारण नहीं बताया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि दिनांक 24.08.2006 को याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत प्रकरण निरस्त कर दिया गया था एवं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 256 के अनुसार उत्तरवादी को दोषमुक्त कर दिया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि एक बार यदि उत्तरवादी के पक्ष में अधिकार निर्मित हो चुका है, तो याचिकाकर्ता पर्याप्त कारण बताए बगैर विलंब माफ करने

हेतु आवेदन प्रस्तुत करके उसे वापस नहीं ले सकता। उन्होंने बताया कि दिनांक 24.8.2006 को ही याचिकाकर्ता ने परिवाद को पुनः प्रारम्भ करने हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया था एवं उत्तरवादी ने उसका जवाब भी प्रस्तुत किया था। उत्तरवादी द्वारा जवाब प्रस्तुत करने एवं याचिकाकर्ता द्वारा उसकी प्रतिलिपि प्राप्त करने की बात पर याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष कोई विरोध नहीं किया । उन्होंने तर्क दिया कि दिनांक 25.8.2006 के जवाब में यह विशेष तौर पर बताया गया था कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 256 के तहत निरस्त किए गए दांडिक प्रकरण को उच्चतम न्यायालय के मेजर जनरल ए.एस. गौरैया एवं अन्य बनाम एस.एन. ठाकुर एवं अन्य के प्रकरण में दिए गए आदेश (ए आई आर 1986 एस सी 1440 में वर्णित) के दृष्टिकोण से पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि एक बार यदि यह वैध परिस्थिति याचिकाकर्ता को बता दी गई, तो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 256 के तहत निरस्त की गई दांडिक परिवाद को पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। उत्तरवादी के अधिवक्ता के अनुसार, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 (4) के तहत याचिका तुरंत प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। उनका कहना है कि याचिकाकर्ता का मनोभाव प्रारंभ से ही लापरवाह था एवं इसलिए दिनांक 8.3.2007 को विद्वान न्यायाधीश ने प्रकरण में आगे कार्रवाई न होने के कारण परिवाद को पुनर्स्थापित करने के आवेदन को निरस्त कर दिया था । यह तर्क दिया गया है कि इस न्यायालय में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत प्रस्तुत प्रथम आवेदन भी विचारण योग्य नहीं थी क्योंकि याचिकाकर्ता एक ही समय में दो न्यायालयों में प्रकरण अभियोजित कर रहा था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि एक ओर दिनांक 24.8.2006 के आदेश को इस न्यायालय में दांडिक विविध याचिका क्रमांक 169/2006 प्रस्तुत करके चुनौती दी गई थी एवं इसके विपरीत दूसरी ओर वह अपने पुनर्स्थापन के आवेदन पर भी कार्रवाई कर रहे थे, जिसे अंततः दिनांक 8.3.2007 को अभियोजन के अभाव में निरस्त कर दिया गया। उन्होंने आगे तर्क दिया कि उच्च न्यायालय में भी याचिकाकर्ता बहुत लापरवाह था एवं इसलिए दिनांक 18.7.2007 के आदेश के कारण दांडिक विविध याचिका क्रमांक 169/2006 निरस्त कर दी गई थी। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि दिनांक 23.1.2009 को याचिकाकर्ता को अच्छी तरह जानकारी थी कि उसके पुनर्स्थापन का आवेदन भी दिनांक 8.3.2007 को अभियोजन के अभाव में निरस्त कर दी गई थी, किन्तु फिर भी उसने इस न्यायालय को सूचित नहीं किया एवं दिनांक 23.1.2009 को विचारण न्यायालय को 30

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिनों के अंदर प्रकरण का निराकरण करने का निर्देश देने के लिए आदेश प्राप्त किया गया एवं जबकि वास्तव में वह प्रकरण लंबित नहीं था एवं दिनांक 8.3.2007 को पूर्व में ही निरस्त कर दिया गया था। यह तर्क दिया गया है कि दिनांक 23.1.2009 को इस न्यायालय ने दांडिक विविध याचिका क्रमांक 479/2007 का निराकरण कर दिया था एवं याचिकाकर्ता ने दिनांक 24.8.2006 के आदेश की सत्यप्रतिलिपि दिनांक 4.2.2009 को प्राप्त की थी, किन्तु फिर भी यह याचिका इस न्यायालय में दिनांक 4.3.2009 को यानी 30 दिनों के पश्चात् प्रस्तुत की गई है, बिना किसी उचित कारण के विलंब को समझाए, जैसा कि विधि के अनुसार आवश्यक है। वह कहते हैं कि याचिकाकर्ता अपने इस कथन से कोई लाभ नहीं उठा सकता कि वह नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित हो रहा था एवं उसकी ओर से केवल एक गलती के कारण प्रकरण निरस्त कर दिया गया। वह कहते हैं कि चूंकि याचिकाकर्ता ने इस याचिका को प्रस्तुत करने में 863 दिनों के विलंब का कोई वैध कारण नहीं बताया है, इसलिए इसे क्षमा नहीं किया जा सकता। उन्होंने 1973 (3) एससीसी 381 में वर्णित किए गए रवींद्र नाथ सैमुअल डावसन विरूद्ध शिवकाशी एवं अन्य के प्रकरण में, 1981 (1) एससीसी 495 में वर्णित किए गए अजीत सिंह ठाकुर सिंह एवं अन्य विरुद्ध गुजरात राज्य के प्रकरण में, 1986 (2) एससीसी 709 में वर्णित किए गए मेजर जनरल ए.एस. गौराया एवं अन्य विरुद्ध एस. एन. ठाकुर एवं अन्य के प्रकरण में एवं(1994) 1 एससीसी 01 में वर्णित किए गए एस. पी. चेंगलवराया नायडू (मृत) द्वारा एल.आर. के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अवलंब लिया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. दोनों पक्षों के तर्कों से यह स्पष्ट है कि परिवाद प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के उपस्थित न होने के कारण, प्रकरण दिनांक 24.08.2006 को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 256 के अंतर्गत निरस्त कर दिया गया था एवं उसी दिन याचिकाकर्ता ने इसे पुनः प्रारंभ करने हेतु एक आवेदन दिया था। हालांकि, पुनर्स्थापन हेतु आवेदन याचिकाकर्ता ने ही दिया था, किन्तु इस बात को छिपाते हुए उसने इस न्यायालय में दांडिक विविध याचिका क्रमांक 169/2006 प्रस्तुत की थी, जिसे भी इस न्यायालय के दिनांक 18.07.2007 के आदेश का परिपालन न करने के कारण निरस्त कर दिया गया था। इसके पश्चात् दिनांक 26.09.2007 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किए गए विविध दांडिक प्रकरण (पी.आर.) क्रमांक 3771/ 2007 में, याचिकाकर्ता ने पुनः यह तथ्य को छिपाया कि उसने उस

न्यायालय में परिवाद की पुनर्स्थापन आवेदन प्रस्तुत किया था। पुनः याचिकाकर्ता ने दिनांक 12.10.2007 को दांडिक विविध याचिका क्रमांक 479/2007 प्रस्तुत किया एवं उस याचिका में भी याचिकाकर्ता ने दिनांक 24.08.2006 को प्रस्तुत किए गए परिवाद की पुनर्स्थापन आवेदन के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया एवं अंततः दिनांक 23.01.2009 को यह तथ्य न्यायालय के पर्यवेक्षण में लाई गई कि कुछ पुनर्स्थापन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित है। यहां भी, याचिकाकर्ता द्वारा इस न्यायालय को यह सूचना देना आवश्यक था कि अधीनस्थ न्यायालय में उसके द्वारा प्रस्तुत की गई पुनर्स्थापन का आवेदन दिनांक 08.03.2007 को अभियोजन के अभाव में पहले ही निरस्त कर दी गई थी। हालांकि याचिकाकर्ता अधीनस्थ न्यायालय में परिवाद को अभियोजित कर रहा था, साथ ही उसने इस न्यायालय में भी एक याचिका प्रस्तुत की थी, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उसने सोच समझकर इस तथ्य को इस न्यायालय से छिपाया है। याचिकाकर्ता द्वारा दी गई सूचना एवं अभिलेख पर उपलब्ध वस्तु के आधार पर, दांडिक विविध याचिका क्रमांक 169/2006 को इस न्यायालय ने दिनांक 23.01.2009 को निराकृत कर दिया था, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय को लंबित प्रकरण का निराकरण करने का निर्देश दिया गया था, जबकि वह प्रकरण पहले ही निराकृत किया जा चुका था। अंततः दिनांक 04.03.2009 को याचिकाकर्ता ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 (4) के तहत अपील हेतु विशेष अनुमति देने के लिए 863 दिनों के विलंब से यह याचिका प्रस्तुत की है। इस न्यायालय द्वारा विचारण योग्य एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अधीनस्थ न्यायालय में याचिकाकर्ता ने दिनांक 24.08.2006 को पुनर्स्थापन का आवेदन प्रस्तुत किया था एवं उत्तरवादी ने दिनांक 25.08.2006 को उसका जवाब प्रस्तुत किया था, जिसमें विशेष रूप से बताया गया था कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 256 के तहत निरस्त किए गए दांडिक प्रकरण को मेजर जनरल ए.एस. गौरैया एवं अन्य बनाम एस.एन. ठाकुर एवं अन्य (पूर्वोक्त) के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय के आदेश को दृष्टिगत रखते हुए पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है। इस तरह, याचिकाकर्ता को यह अच्छी तरह ज्ञात था कि शिकायतकर्ता का प्रकरण पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता एवं इसलिए उसे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 (4) के तहत याचिका प्रस्तुत करके तुरंत इस न्यायालय में आना चाहिए था। हालांकि याचिकाकर्ता को उत्तरवादी द्वारा दिए गए जवाब की प्रतिलिपि मिल चुकि थी, फिर भी उसने इस न्यायालय में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अनुसार एक के बाद एक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिका प्रस्तुत करना जारी रखा एवं उसने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 (4) के तहत याचिका प्रस्तुत करने की परवाह नहीं की।

6. यह सत्य है कि विलम्ब को क्षमा करने के आवेदन पर विचारण करते समय न्यायालय को प्रकरण के सभी पहलुओं पर विचार करना होता है, खासकर जब न्याय देना हो, किन्तु यह भी उतना ही सत्य है कि दूसरे पक्ष के अधिकार एवं हितों को भी ध्यान में रखना होता है। इस प्रकरण में, जब याचिकाकर्ता का परिवाद दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 256 के तहत निरस्त कर दिया गया, तो इसका परिणाम यह हुआ कि अभियुक्त दोषमुक्त हो गए एवं इस तरह उनके पक्ष में एक अधिकार निर्मित हो गया। अभिलेख से मालूम होता है कि याचिकाकर्ता न्यायालय में अपना प्रकरण अभियोजित करने में बहुत लापरवाह था। उसका शिकायत का प्रकरण दिनांक 24.8.2006 को याचिकाकर्ता या उसके अधिवक्ता के उपस्थित न होने के कारण निरस्त कर दिया गया था एवं यहाँ तक कि उसकी पुनर्स्थापन का आवेदन भी अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 8.3.2007 को अभियोजन के अभाव में निरस्त कर दी गई थी। इतना ही नहीं, जब इस न्यायालय ने दांडिक विविध याचिका क्रमांक 169/2006 में दिनांक 18.7.2007 को अंतिम आदेश पारित किया, तो याचिकाकर्ता ने आदेश का पालन नहीं किया, उसने प्रक्रिया शुल्क जमा नहीं किया एवं इसलिए इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश का परिपालन न करने के कारण इसे निरस्त कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. इसलिए, इस न्यायालय द्वारा याचिका प्रस्तुत करने में हुई 863 दिनों के विलंब को क्षमा करना कठिन प्रतीत होता है।

8. इस न्यायालय द्वारा ध्यान देने योग्य एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि दिनांक 23.1.2009 को दांडिक विविध याचिका क्रमांक 169/2006 में इस न्यायालय ने विचारण न्यायालय को 30 दिनों के अंतर्गत प्रकरण का निराकरण करने का निर्देश देकर प्रकरण समाप्त कर दिया था एवं वास्तव में वह प्रकरण लम्बित नहीं था एवं दिनांक 8.3.2007 को पहले ही प्रकरण निरस्त कर दिया गया था। स्वीकृत तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता ने न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 24.08.2006 के आदेश की सत्य प्रतिलिपि दिनांक 4.2.2009 को प्राप्त की थी, किन्तु फिर भी यह याचिका इस न्यायालय में दिनांक 4.3.2009 को यानी सत्य प्रतिलिपि मिलने के दिनांक से 30 दिनों के पश्चात्

प्रस्तुत की गई है एवं याचिकाकर्ता ने विलंब माफ करने के आवेदन में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है।

9. यदि याचिकाकर्ता द्वारा विलंब माफ़ करने हेतु प्रस्तुत की गई पूर्ण आवेदन को देखा जाए, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि याचिकाकर्ता ने यह याचिका प्रस्तुत करने में कोई यथार्थ प्रयास नहीं किया है।

10. प्रकरण के समस्त पहलुओं, पक्षों द्वारा बताए गए प्रकरणों पर विचार करते हुए, यह न्यायालय इस मत पर पहुंची है कि वर्तमान प्रकरण के तथ्यों में 863 दिनों के इतने अधिक विलम्ब को क्षमा नहीं किया जा सकता।

11. इसलिए, यह याचिका प्रस्तुत करने में हुई विलंब को क्षमा करने हेतु अंतरिम आवेदन क्रमांक- 1 को निरस्त किया जाता है।

12. परिणामस्वरूप, याचिका परिसीमा से बाधित होने के कारण स्वतः निरस्त हो जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

प्रीतिंकर दिवाकर

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा एवं कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by Shri Prahlad Panda, Advocate.